संख्या-31/2020/789/86-2020-41(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 28 मई 2020

विषयः प्रदेश में नदी तल के उपखनिज यथा बालू/मोरम के खनन पट्टों की देय मासिक किश्तों का आनलाईन प्रक्रिया से भुगतान सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र सं0-2016/एम0-1ए 158/2017(ई-रवन्ना) II दिनांक 12.03.2020 जिसके द्वारा मासिक किश्तों का निर्धारण करने एवं पत्र सं0-05/एम0-228/2017-खनन नीति (कोविड)(IV) दिनांक 21.04.2020 जिसके द्वारा दिनांक 01.05.2020 से किश्तों की आनलाईन भुगतान की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिये गये है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण देय मासिक किश्त ऑनलाईन जमा कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0उपखनिज (परिहार) नियमावली,1963 (यथा संशोधित) की पंचम अनुसूची के अनुसार निर्धारित मासिक किश्त के भुगतान की आनँलाईन प्रीपेड प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें-

1. उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टों की देय धनराशि के सम्बन्ध में पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्तें निर्धारित करते हुए उनका आनलाईन प्रीपेड भुगतान विभागीय ई-एम0एम 11 पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर दिनांक 01.06.2020 से किया जायेगा।

2. मासिक किश्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किश्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहारधारक, अगली मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही, अभिवहन पास जनित कर सकेगा।

3. किसी त्रैमास के द्वितीय अथवा तृतीय माह में निष्पादित खनन पट्टों में एक पट्टा वर्ष अन्तर्गत चतुर्थ अनुसूची के अनुसार 04 किश्तों (100 प्रतिशत) से अधिक की देयता बन रही हो, वहां पर पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्त निर्धारण में विंसगतियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे पट्टों में पूर्व पट्टों 100 प्रतिशत की देयता पूर्ण कराते हुए पंचम अनुसूची के अनुसार देयता निर्धारित किया जाना है। इसके साथ ही यदि किसी खनन पट्टे के अन्तर्गत एक पट्टा वर्ष में 04 त्रैमासिक किश्त (100प्रतिशत) से अधिक

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि का भुगतान किया गया है तो आगामी खनन पट्टा वर्ष में पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्त निर्धारित करते समय अधिक जमा धनराशि का समायोजन कर लिया जाय।

4. यदि किसी खनन पट्टे में खनन कार्य एक त्रैमास या उससे अधिक समय तक मा0 न्यायालय/मा0एन0जी0टी0 के आदेश से प्रतिबन्धित रहा हो, तो ऐसे प्रतिबन्धित अवधि की किश्तों की देयता को माफ (Waiver) किये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम-40(ज) के अन्तर्गत शासन की सहमति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा।

कृपया उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनपद के परिहारधारकों को निर्देशित करते हुए उपखनिज बालू/मौरम के खनन पट्टों की देय मासिक किश्तों का निर्धारण कर ऑनलाईन अग्रिम भुगतान की कार्यवाही दिनांक 01.06.2020 से कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,

संख्याः789(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-134/एम0-228/2017-खनन नीति (IV) दिनांक 27.05.2020 के सन्दर्भ में ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0, ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in